भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2368
दिनांक 10 दिसंबर, 2024/ 19 अग्रहायण,1946 (शक) को उत्तर के लिए

पुलिस बल का आधुनिकीकरण

2368. श्री सतीश कुमार गौतम:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पुलिस बल के आधुनिकीकरण के उद्देश्य क्या हैं और तत्संबंधी वित्तीय परिव्यय का ब्यौरा क्या है; और
(ख) डीआरडीओ द्वारा विकसित उत्पादों को केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में शामिल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नित्यानंद राय)

(क):

I) राज्य पुलिस बल :

पुलिस बलों का आधुनिकीकरण एक सतत एवं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। पुलिस बलों के बुनियादी ढांचे को विकसित करना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। तथापि, अपने पुलिस बलों को सुसज्जित करने और आधुनिक बनाने के राज्यों के प्रयासों में "पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता (एएसयूएमपी)" योजना [पूर्व में "पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए राज्यों को सहायता" की योजना] के तहत केंद्र सरकार द्वारा सहायता प्रदान की गई है।

लोक सभा अतारंकित प्र.सं. 2368, दिनांक 10.12.2024

योजना का उद्देश्य प्रासंगिक बुनियादी ढांचे के विकास के माध्यम से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के पुलिस बलों को पर्याप्त रूप से सुसज्जित करना है। योजना का फोकस सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में पुलिस स्टेशनों की स्थापना के साथ-साथ पुलिस स्टेशनों को आवश्यक आधुनिक तकनीक, हथियार, संचार उपकरण आदि से लैस करके पुलिस बुनियादी ढांचे को अत्याधुनिक स्तर पर मजबूत करना है। इसके अतिरिक्त, इसमें गतिशीलता और आवास सहित अन्य पुलिस बुनियादी ढांचे का निर्माण शामिल है, जो केवल विशिष्ट क्षेत्रों के लिए होगा।

"पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता (एएसयूएमपी)" योजना के तहत वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक की अवधि के दौरान, पांच वर्षों के लिए 4846 करोड़ रुपये के समग्र परिव्यय की मंजूरी दी गई है।

II) केन्द्रीय पुलिस बल :

दिनांक 01.01.2022 से 31.03.2026 तक की अवधि के लिए 1523 करोड़ रुपये के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ आधुनिकीकरण योजना-IV को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) [अर्थात असम राइफल्स, सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस, राष्ट्रीय सुरक्षा गारद और सशस्त्र सीमा बल] के लिए अनुमोदित किया गया है। इस योजना के माध्यम से, सीएपीएफ को नवीनतम हथियारों, निगरानी और संचार उपकरणों, विशिष्ट वाहनों, सुरक्षात्मक गियर आदि से लैस किया जाता है, ताकि वे सीमाओं की रक्षा और आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने जैसे महत्वपूर्ण कार्य करने में सक्षम हो सकें। यह योजना देश भर में वर्तमान सुरक्षा परिदृश्य के मद्देनजर सीएपीएफ के पास उपलब्ध मौजूदा इन्वेंट्री/प्रौद्योगिकी और नवीनतम उपयुक्त अत्याधुनिक तकनीक के बीच अंतराल को पूरा करने में मदद कर रही है।

(ख): रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) द्वारा विकसित उत्पादों को सीएपीएफ में सुचारू रूप से शामिल करने के लिए गृह मंत्रालय और डीआरडीओ के सहयोग से एक कार्यप्रणाली तैयार की गई है। इसके माध्यम से, सुरक्षा बलों के लिए 9 एमएम पिस्तौल के लिए कॉर्नर शॉट वेपन सिस्टम, 40

लोक सभा अतारंकित प्र.सं. 2368, दिनांक 10.12.2024

एमएम अंडर बैरल ग्रेनेड लांचर (यूबीजीएल) गोला-बारूद, ज्वाइंट वेंचर प्रोटेक्टिव कार्बाइन (जेवीपीसी), मल्टी-मोड हैंड ग्रेनेड, आतंकवाद-रोधी वाहन (एटीवी) आदि जैसी कई मदों की शुरूआत की गई है।डीआरडीओ सीएपीएफ के लिए हैंड हेल्ड ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार (एचएच-जीपीआर), व्हीकल माउंटेड ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार, फोलिएज पेनेट्रेटिंग रडार आदि भी विकसित कर रहा है।

मौजूदा निर्देशों को युक्तिसंगत बनाकर, सीएपीएफ में डीआरडीओ द्वारा विकसित मदों/प्रौद्योगिकियों को शामिल करना और भी सरल बनाया गया है।

*****